(iv) Basket for usage of rebateable oils has been expanded by the addition of solvent extracted sesame oil and salseed fat.

(v) Government is exploring the possibility of import of stme quantity of edible oils.

मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल की कमी

@1449. **श्री लक्खीराम अग्रवाल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में, विशेष रूप से गर्मी के दिनों में, पेयजल की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पेयजल मिशन के अंतर्गत पेयजल की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) पेयजल मिशन के अंतर्गत इन क्षेत्रों के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम विचाराधीन हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कौन-कौन से प्रावधान करने का विचार रखती है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): 73 गांवों को छोड़कर शेष सभी "बिना जल स्रोत" वाले समस्याग्रस्त गांवों में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से पेयजल की सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं । "बिना जल स्रोत" वाले शेष समस्याग्रस्त गांवों को 1991-92 में स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं मुहैया कराये जाने का लक्ष्य बनाया गया है । मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में गर्मियों के महीनों के कुछेक इलाकों में पीने के पानी की कमी महसूस की गई है ।

(ख) और (ग) राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत शुरू की गई मिनी मिशन परियोजनाओं सहित केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत निरंतर आधार पर स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए कदम उठाए जाते हैं । राज्य सरकार को रिलीज की गई त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम की कम से कम 10 प्रतिशत धनराशि की आदिवासी जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए इस्तेमाल किया जाना है । न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और आदिवासी उप-योजना के अंतर्गत भी निधियों के ऐसे निर्धारण किए जाते हैं । स्वच्छ पेयजल सप्लाई का पहला जल स्रोत आदिवासी बस्तियों में स्थापित किया जाना होता है । बस्तर जिले में अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए 1191.81 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाली एक विशेष परियोजना अनुमोदित की गई थी । 1991-92 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की 2000 ऐसी बस्तियों में स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने का भी प्रस्ताव है जहां पेयजल उपलब्ध नहीं है ।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के स्वरूप और आकार को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

1450. [*Transferred to the 10th September, 1991*].

Flats Constructed at Noida by Air Force Housing Board

1451. SHRI M. PALANIYANDI:

SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the Minister of DEFENCE pleased to state:

(a) whether it is a fact that Air Force Housing Board, Race Cour

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 838, 6 सितम्बर, 1991 से स्थानान्तरित ।

New Delhi has constructed flats at NOIDA;

(b) whether it is also a fact that five vacant flats of Phase-II project were not allotted to the members in the waiting list of Phase-II Scheme and were transferred to Phase-III Scheme without intimation to the interested members to take over the flats of Phase-II by paying the cost plus interest;

(c) whether it is also a fact that Air Force Naval Housing Board has fixed the cost of Phase-II Type II flats at Rs. 1,36,000 and Phase-III Type II flats 1,77,600 covering the area of 690 sq. ft.;

(d) whether it is also a fact that the Housing Board has allotted Phase-II flats instead of Phase-III flats to some of its members in April, 1991 at the cost of Phase-III flats and the Board is reluctant to pay back the amount charged in excess for Phase-II flats;

(e) if so, what are the reasons therefor; and

(f) by when the amount charged in excess is likely to be returned to the Members?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) Yes Sir. A number of flats have been constructed at NOIDA by the Air Force Naval Housing Board (AFNHB) which is a non-Government private organisation registered as a Society under the Societies Registration Act, 1862.

(b) to (f) As five incomplete flats in Phase-II remained unsubscribed and as there was no waiting list, these flats were transferred to Phase-III for completion and allotment as a part and parcel of Phase-III. Pending assessment of the final costing, all allottees of Type-II flats in Phase-III were tentatively charged Rs. 1,76,064/- due to increase in cost, as against the cost of Rs. 1,36,714/- tentatively charged for Type-II flats of Phase-II. There is no question of any refund becoming due to any one as the Board have neither charged extra nor made any profit from any of the allottees.

सरकारी अधिकारियों में लापरवाही तथा भ्रष्टाचार

1452. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्च सरकारी अधिकारियों एवं उपक्रमों के उच्च प्रबन्धकों में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा लापरवाही का पता लगाने का विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार इस का पता लगाने के लिए आसूचना एजेंसियों की सहायता लेने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा लापरवाही को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रचलन में है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) सरकार सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सतत रूप से प्रयत्नशील है । इसको प्राप्त करने के लिए पहले के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के स्थान पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 लागू किया गया । ऐसे मामलों से निपटने के लिए संगत आचरण नियमावली तथा अन्य सेवा नियमावली में भी समुचित प्रावधान किए हुए हैं । आवश्यकता पड़ने पर सरकार भ्रष्टाचार संबंधी मामलों का पता लगाने के लिए आसूचना एजेन्सियों से सहायता लेती है ।